(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3271—एक / 2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 16—08—2013 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा धुंधड़का, मंदसौर प्रकरण कमांक 58 / अ—6 / 2010—11

....

1—हंसराज पिता स्व0जगदीश
2—गुलाबचन्द पिता बालमुकुन्द
दोनों निवासी ग्राम धमनार तहसील व
जिला मंदसौर म0प्र0

.... आवेदकगण

विरूद्ध

रमेश पिता बालमुकुन्द
निवासी ग्राम धमनार तहसील व
जिला मंदसौर म0प्र0

........अनावेदक

....

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/07/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा धुधड़का, मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16—08—2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम धमनार तहसील मदसौर में सर्वे नम्बर 1166 रकबा 2.195 हैक्टर, सर्वे नम्बर 1278 रकबा 0.533 हैक्टर, सर्वे नम्बर 2353 रकबा 0.272

हेक्टर, सर्वे नम्बर 2352 रकबा 0.418 हैक्टर एवं सर्वे नम्बर 2358 रकबा 0.347 हेक्टर कुल रकबा 5.809 हेक्टर श्रीमती कावेरीबाई पिता शोभाराम धाकड़ निवासी धमनार के स्वामित्व की स्थित है लेकिन श्रीमती कावेरीबाई का स्वर्गवास हो चुका है । श्रीमती कावेरीबाई ने अपने जीवनकाल में दिनांक 19–7–2010 को उक्त भूमि के बारे में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा अनावेदक के हक में गवाहों के समक्ष लिखकर उपपंजीयक कार्यालय मंदसौर में पंजीकृत करवाया है तथा गवाहों ने भी कावेरीबाई की मौजूदगी में हस्ताक्षर किये थे। उक्त पंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर अनावेदक को वर्णित भूमि का मालिक बनाया है, चूँकि कावेरीबाई की मृत्यु हो चुकी है और अनावेदक मृतक कावेरीबाई का पोता है । उपरोक्त वसीयतनामा के आधार पर आवेदकगण को अनावेदक रमेश का भू–स्वामी बनना स्वीकार नहीं । कावेरीबाई की मृत्यु के बाद आवेदकगण का भी बराबर का हक है । आवेदक कमांक 1 हंसराज के पिता तथा आवेदक कमांक 2 गुलाबचंद एवं अनावेदक रमेश सभी सगे भाई होकर सम्पत्ति के बराबर के हकदार है क्योंकि वास्तव में उक्त भूमियॉ आवेदकगण के दादा एवं परदादा की होकर पैतृक सम्पत्ति है, जबकि अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 109 एवं 110 के तहत प्रस्तुत कर फर्जी एवं बनावटी के आधार पर पैतृक भूमियों का नामान्तरण अपने नाम से करवाने के लिये प्रस्तुत किया और अपनी ओर से साक्षी का कथन भी गवाह में करवा लिये । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुये आवेदकगण द्वारा दो आवेदन आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 8 नियम 1 सी.पी.सी. की धारा 43 के तहत दिनांक 16–8–2013 को न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा धुंधड़का मंदसौर के यहॉ पेश किया जो आवेदन प्रस्तुती दिनांक 16–08–2013 में ही आदेश पारित कर प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया गया । न्यायालय नायब तहसीलदार मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–8–2013 से असंतुष्ट होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदनों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून का चिंतन व मनन किये बिना व विधि सिद्धांतों को देखे बिना ही आवेदन प्रस्तुत दिनांक को ही आदेश पारित किया गया कि उक्त प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण अंतिम आदेश के अंतर्गत किया जावेगा । इस प्रकार का आदेश करने में अधीनस्थ न्यायालय ने वैधानिक भूल की है । आवेदकगण के आवेदनों द्वारा

आपत्तिकर्ता सिविल न्यायालय मंदसौर के प्रकरण कमांक 6–अ/12 में दर्ज सिविल वाद विचाराधीन है जिसको आपत्ति में आपत्तिकर्ता संशोधन कराना चाहता है और उक्त संशोधन परिणामिक होकर किया जाना आवश्यक है जिसे स्वीकार ना कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की भूल की है । आवेदन संशोधन का होने से एवं वाद पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के आवेदन को अंतिम आदेश में निराकरण नहीं किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवादित आदेश पारित किया है । तर्क में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त आवेदनों को अनावेदक के जबाव के बिना ही प्रत्येक आवेदन को निरस्त कर वादी की प्रत्येक बात का समर्थन किया है । इस प्रकार एकतरफा अनावेदक के पक्ष में समस्त आवेदनों का निराकरण करने की विधिक भूल की है । आवेदकगण का एक अन्य आवेदन संपत्ति में हक रखने वाले समस्त वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का निराकरण भी अधीनस्थ न्यायालय ने आज दिनांक तक नहीं किया है । पूर्व में आवेदक की साक्ष्य समाप्त घोषित किये जाने के पश्चात् आवेदकगण ने दिनांक 28–9–12 को आवेदन प्रस्तुत कर सिविल न्यायालय में वाद कारिता करने के लिये समय चाहा जिसका निराकरण अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 5–3–2013 को किया । उक्त अवधि के दौरान आवेदकगण के साक्ष्य का अवसर भी माना व दिनांक 5–3–13 के बाद आवेदकगण को मात्र एक अवसर दिया तथा साक्ष्य का हक समाप्त कर दिया । आवेदकगण ने दिनांक 28–3–2013 को आवेदन प्रस्तुत कर अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाही थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण का आवेदन निरस्त कर उसके साक्ष्य का अवसर समाप्त करने की भूल की है । आवेदकगण को उसके साक्ष्य का हक भी प्रदान किया जाना आवश्यक है । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–8–13 को निरस्त करने का अनुरोध किया ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में नायब तहसीलदार मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–8–13 विधिनुकूल एवं न्यायसंगत बताते हुये उसे स्थिर रखे जाने का निवेदन कर अभिलेख के आधार पर विधिवत् आदेश पारित करने का अनुरोध किया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन

,किया गया । आवेदक द्वारा दो आवेदन एक – अपनी आपत्ति आवेदन में संशोधन के संबंध में तथा दो– वाद पत्र को रिकार्ड पर लेने के बारे में अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये । जिन पर अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम आदेश के साथ अंतिम निराकरण का निर्णय लिया । अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 16–8–2013 के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने दोनों आवेदनों पर उभयपक्ष की बहस सुन ली है तब उन पर निर्णय के लिये पेंडिंग करने का औचित्य नहीं था । इस संबंध में आवेदक की आपत्ति स्वीकार योग्य है ।

6/ फलतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रथमतः उभयपक्ष को सुनकर उक्त दोनों आवेदनों पर नियमानुसार निर्णय लेवें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर